I/177648/2023

संख्या : /XVII-C-1/2023–14(4)घो0/2019 (TC-1)/E–53591

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक : दिसम्बर, 2023**

विषयः–शौर्य स्थल ''सैन्यधाम'' के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रूपये 9126.94 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य/परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3012/शौ0स्थल(सैन्यधाम)/सै.क.–3/697 दिनांक 11.12. 2023 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1925/2021 दिनांक 05.01.2022 के द्वारा जनपद–देहरादून के गुनियाल गांव, राजपुर रोड में निर्माणाधीन शौर्य स्थल ''सैन्यधाम'' के निर्माण कार्यों हेतु योजना की अनुमानित लागत रूपये 5775.44 लाख (रूपये सत्तावन करोड पिचहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 में **प्रथम किश्त** रूपये 1575.99 लाख तथा शासनादेश संख्या 311/2023 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में **द्वितीय किश्त** में धनराशि रूपये 424.01 लाख एवं शासनादेश संख्या 388/2023 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा **तृतीय किश्त** में रूपये 1575.99 लाख और शासनादेश संख्या 930/2023 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा **चतुर्थ किश्त** में रूपये 1000.00 लाख और शासनादेश संख्या 1697/2023 दिनांक 22.11.2023 के द्वारा **पंचम किश्त** में रूपये 1000.00 लाख अवमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब तक पुनरीक्षित आगणन रू0 9126.94 लाख के सापेक्ष रूपये 5575.99 लाख अवमुक्त कर दिये गये हैं।

2– उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्य की अगली किश्त **(छठवीं किश्त)** के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
ii. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
iv. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
v. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
vi. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
vii. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/01/2024 04:49 PM

I/177648/2023

viii. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

ix. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

x. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/ 2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09. 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

xii. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

xiii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

xiv. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

xv. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को अनिवार्य प्रस्तुत किया जाए।

xvi. प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

xvii. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535)दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xviii. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

xix. Reinforcement एवं अन्य Hidden work की Record Measurement के साथ–साथ फोटो/वीडियोग्राफी भी अवश्य कराई जाए।

xx. कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की पुनरीक्षित स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग तथा आन्तरिक एवं पंहुच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय। साथ ही आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल/स्टोन मैसोनरी रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाए।

xxi. आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए।

xxii. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/01/2024 04:49 PM

I/177648/2023

xxiii. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxiv. परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1662/824/सैनिक कल्याण/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22, दिनांक 22.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

xxv. परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए।

xxvi. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार म्ंतजीपदह का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा–800–अन्य व्यय–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद् निर्माण नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश शासनादेश संख्या 130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.3. 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति /बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

<u>संख्या : /XVII-C-1/2023–14(4)घो0/2019 (TC-1)/E–53591 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. बजट निदेशालय, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण विंग, विकासनगर, देहरादून (कार्यदायी संस्था)।
6. वित्त अनुभाग–01 एवं 02 तथा 03 उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/01/2024 04:49 PM